

जनपद मऊ में गौ तस्करी से संबंधित माफिया को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गयी डीसीएम वाहन संख्या UP82AT3443 कीमती (लगभग 21 लाख 85 हजार रुपये) थाना चिरैयाकोट द्वारा किया गया-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री अजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में माफिया व गैंगस्टरों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चिरैयाकोट पुलिस ने एक बहुत बड़ी जब्तीकरण की कार्यवाही की है । मु0सं0अ0-431/2023 धारा -3)1-अधिनियम (निवारण) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप 0प्र0उ (1986 थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह साकिन नगलाजेई थाना जैथरा जनपद एटा जो कि संगठित गिरोह बनाकर गौ तस्करी जैसे अपराध कारित करता था । श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मऊ के आदेश संख्या /14722024 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-D 202415510001472दिनांक 14.08.2024 के अनुपालन मे अभियुक्त जितेन्द्र कुमार द्वारा अवैध तरीके से अर्जित धन से क्रय की गयी डीसीएम वाहन संख्या -UP82AT3443 EICHER PRO DCM इंजन नं0-E446CDNG0402800चेचिस नं , - MC2ERLC0NGB03204 को प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश यादव द्वारा मय हमराह के थाना परिसर मे पूर्व से ही अन्तर्गत धारा-207 एमवी एक्ट के सीज के क्रम मे धारा-14)1 (गै.प्र.उगेस्टर एक्ट मे जब्त कर थाना चिरैयाकोट मे दाखिल कर दिया गया है । इस जब्त वाहन डीसीएम की अनुमानित मूल्य-21,85,000 निर्धारित है । 0रू /

आपराधिक इतिहास जितेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह साकिन नगलाजेई थाना जैथरा जनपद एटा-

1. मु0सं0अ0 116/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 0पशु क्रूरता अधि 11 थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ ।
2. मु0सं0अ0 431/2023 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ ।

एक वांछित तथा एक वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 18.08.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुबन पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर बनियापार के पास से मु0अ0सं0 116/24 धारा 307,341,120बी भादवि में वांछित अभियुक्त लौहर यादव पुत्र गोविन्द यादव निवासी बनियापार थाना घोसी तथा कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त रामप्यारे राजभर पुत्र बालचन्द राजभर निवासी परदहा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

महिला एच्छक ब्यूरो के प्रयास से 08 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 79 मामलों में से 29 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 18.08.2024 को महिला एच्छक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छक ब्यूरो के सदस्यों के समक्ष कुल 79 मामले आये जिसमें एच्छक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से 29 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 08 दंपति पिन्टू/सुशीला, निर्मला/धर्मेन्द्र, हेना/इरफान, सानिया/शफीक, माधुरी/राजेश, रुबी/आनन्द, वैशाली/आशीष, जफरूल/नुजहत

आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 05 मामले में एफआईआर का निर्णय तथा 16 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी । क्षेत्राधिकारी नगर मऊ श्री अंजनी पान्डेय ने बैठक में उपस्थित होकर कमिटी से बातें कीं। एच्छक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद, उ0नि0 समरजीत यादव, म0आ0 पुनम पाल, राजलक्ष्मी त्रिपाठी, शालिनी मौर्या उपस्थित रही ।